HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

No.....B/2646...../ Jabalpur, dt...8./6.../2021
III-2-24/21

The Copy of order/circular of the State Govt, Revenue Deptt. Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal no. 2-4/2021/7/Gov-7 dated 25-03-2021 in respect of providing protection to the Presiding Officers of the Revenue Courts discharging their duties in the Judicial/quasi Judicial Proceedings on the website of the High Court of M.P. for general information & appropriate action.

08/06/2021

(R.P.S. CHUNDAWAT)
REGISTRAR(DE)

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-4/2021/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 25/03/ 2021

प्रति

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः **न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को प्राप्त संरक्षण बाबत्।**

न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 2 एवं 3 निम्नानुसार हैः-

"**2. परिभाषा-** इस अधिनियम में "न्यायाधीश" से न केवल प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित है किन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी अभिप्रेत है-

(क) जो किसी विधिक कार्यवाही में, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरूद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है; या

(ख) जो उस व्यक्ति-निकाय में से एक है, जो व्यक्ति-निकाय ऐसा निर्णय, जो खंड (क) में निर्दिष्ट है, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है।

3. न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त संरक्षण- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो न्यायाधीश है या था, उसके द्वारा उस समय जब वह अपने पदीय या न्यायिक कर्तव्य या कृत्य में कार्य कर रहा हो या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, या उसके अनुक्रम में किए गए किसी कार्य, की गई किसी बात या बोले गए किसी शब्द के लिए किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी की किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो न्यायाधीश है या था, ऐसी कार्रवाई (चाहे वह सिविल, दाण्डिक या विभागीय कार्यवाही के रूप में हो या अन्यथा) करने की शक्ति को किसी भी रीति में विवर्जित नहीं करेगी या उस पर प्रभाव नहीं डालेगी।"

2/ अतः राजस्व न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारी, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 31 अथवा किसी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अर्द्ध न्यायिक/न्यायिक कार्यवाही कर रहे हैं, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 2 के अंतर्गत 'न्यायाधीश' हैं और उन्हें, ऐसी अर्द्ध न्यायिक/न्यायिक कार्यवाही के दौरान किये गये किसी कार्य के विरूद्ध सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाही से अधिनियम की धारा 3 (2) के अधीन रहते हुए, संरक्षण प्राप्त है।

25/3/3

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-4/2021/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक .25/03/2021

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

CR 8636

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग